मानव अधिकार आयोग
अति आवश्यक स्मरण पत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 15( )14/श्रम/प्रमुवसं/5176–5201 दिनांक 3/12/14

निमित,

मुख्य वन संरक्षक,

____

विषयः–वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी.ई. प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3845–62 दिनाक 13.11.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492 में जारी आदेश दिनांक 30.9.14 की प्रति प्रेषित की गई थी। उक्त आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया गया था, कि आप अपने अधिनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों से समस्त वर्कचार्ज कर्मचारियों (जो स्थाई हो चुके है अथवा सेमी परमानेन्ट चल रहे है) की सूची तैयार करावे तथा सूची में अंकित किसी कर्मचारी की टी.ई. जारी करने हेतु प्रस्ताव राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को नहीं भेजा गया है तो संबधित कार्यालय को भेजा जाकर उसकी एक प्रति वरिष्ठ अति. निदेशक (सर्तकता), नोडल अधिकारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर को भेजी जाये ताकि वे बचे हुए प्रकरणों में टी.ई. अविलम्ब जारी कर सके। उक्त कार्यवाही के पश्चात् अपने अधिनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यह सर्टिफिकेट प्राप्त करे कि कोई वर्कचार्ज कर्मचारी जो सेवानिवृत हो चुका है अथवा कार्यरत हैं का टी.ई. से संबधित कोई प्रकरण बकाया नहीं है एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग को भिजवाया जाना शेष नहीं है। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त सर्टिफिकेटों के आधार पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र आपके द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 30.11.14 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करावें, किन्तु उक्त वाछिंत सर्टिफिकेट अभी तक अपेक्षित है।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निर्देशानुसार अपने अधिनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों से सर्टिफिकेट प्राप्त कर 7 दिवस मे इस कार्यालय को भिजवावे, ताकि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को दिनांक 11.12.14 से पूर्व विभाग में कोई टी.ई. से संबधित प्रकरण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

(ए.एस.बरार)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर

क्रमांकः– एफ 15( )14/श्रम/प्रमुवसं/5202–5302 दिनांक 3/12/14

प्रतिलिप समस्त उप वन संरक्षकगण/वन बंदोस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी को इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3863–65 दिनाक 13.11.14 के क्रम मे प्रेषित कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सूची तैयार कर पत्र मे अंकित राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही कर सर्टिफिकेट सीधे ही अपने नियत्रंणाधिकारी को 3 दिवस में तत्काल प्रेषित करें।

प्रतिः कम्प्यूटर अनुभाग को अपलोड हेतु।

(ए.एस.बरार)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर